**फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)**

**पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन**

**(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)**

वित्तीय वर्ष 2026-27

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2041-00-800-03-00** 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान- 01-वेतन | 70.00 | 60.00 | 4.50 | 4.50 | 55.50 |
| **योग-** | **70.00** | **60.00** | **4.50** | **4.50** | **55.50** |

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43 | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय | संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2041-00-800-03-00** 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान | | | | | |
| **13-टेलीफोन पर व्यय** | 0.40 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 4.80 |
| **51-वर्दी व्यय** | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| **योग -** | **0.45** | **4.95** | **4.50** | **4.50** | **4.95** |

**(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्रीमती पूजा सिंह, वर्तमान अध्यक्षा, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, के ब्राडबैड/लैंडलाईन एवं इन्टरनेट मोबाइल डाटा के एरियर तथा वर्दी भत्ता के भुगतान हेतु रू0 4.50 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। अतः 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय -03-स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान-01- वेतन मद में रू0 4.50 लाख की बचत सम्भावित है।

**(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-**

श्रीमती पूजा सिंह, वर्तमान अध्यक्षा, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, के ब्राडबैड/लैंडलाईन एवं इन्टरनेट मोबाइल डाटा के एरियर तथा वर्दी भत्ता के भुगतान हेतु रू0 4.50 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। अतः 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट दान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान-13-टेलीफोन मद में रू0 4.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है तथा अतः 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय -03- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान-51-वर्दी व्यय मद में रू0 0.10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है।

**(3)** प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

**आर0ई0 संख्या-बजट-1-16, दिनांक 25-05-2026**

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-65/2026/981/तीस-3-2026 दिनॉक 26 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उ0प्र0 को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।